

न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर
(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर 235103003262016

दांडिक प्रकरण क.-516 / 16

संस्थापित दिनांक-25.11.16

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।अभियोजन	
विरुद्ध	
01-कृपाल कुशवाह पुत्र श्री हरिप्रसाद उम्र 45 साल निवासी गोधन थाना चंदेरी अशोकनगर।आरोपी	
राज्य द्वारा	:- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।
आरोपी द्वारा	:- श्री चौरसिया अधिवक्ता।

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 22.03.2017 को घोषित)

01- आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपी के विरुद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 294, 323, 324 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02- प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि आरोपी का फरियादी से राजीनामा हो गया है जिसके फलस्वरूप आरोपी को भादवि की धारा 294, 323 के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है। यह निर्णय भादवि की धारा 324 के संबंध में पारित किया जा रहा है।

04— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले की फरियादी अंगूरीबाई ने दिनांक 25.09.15 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि घटना दिनांक को वह अपने खेत पर काम कर रही थी। उसके खेत के बगल में उसके जेठ कृपाल सिंह का खेत है जिसमें मूंगफली की फसल खड़ी थी। उसी बच्ची संध्या उम्र 3 साल मूंगफली के लिए रोने लगी। उसके खेत की मेढ में एक पौधा मूंगफली का खड़ा था वह उसने उखाड़कर अपनी बच्ची को दे दिया। इतने में उसका जेठ कृपाल सिंह आया और उसे मां-बहन की बुरी-बुरी गालियां देते हुए बोला कि मेरे खेत से पटाकर अपनी बच्ची को मूंगफली खिला रही है। उसने कहा कि मैंने तुम्हारे खेत से नहीं उखाड़ी है एक पौधा हमारे खेत में लगा था वह उखाड़ा है। फिर आरोपी कृपाल कहने लगा कि साली मुंह चलाती है और उसे कुल्हाड़ी से मारना चाहा जो उसके सिर में पीछे लगी जिससे चोट होकर खून निकलने लगा। जब वह चिल्लाई तो उसका पति भानसिंह व जेठानी कलाबाई आ गई तब तक आरोपी ने उसके बख्खा में कुल्हाड़ी की मूंद मार दी जिससे मुंदी चोट आई। उसके पति एवं जिठान ने बीच बचाव किया। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 386/15 के अंतर्गत भादवि की धारा 294, 323, 324 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

05— प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 294, 323, 324 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण नहीं किया गया।

06— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1. क्या आरोपी ने दिनांक 25.09.15 को समय दोपहर 03.00 बजे करीब फरियादी का छेवला नदी वाला खेत ग्राम गोधन पर फरियादी अंगूरीबाई को कुल्हाड़ी से मारकर उपहति कारित की ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

07— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 अंगूरीबाई की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

08— अभियोजन साक्षी 01 अंगूरीबाई ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी को जानती है। उक्त साक्षी के अनुसार आरोपी उसका जेठ है जिससे घटना दिनांक को उसकी तूतू-मैंमें हो गई थी और कहासुनी हो गई थी। उक्त साक्षी के अनुसार उसने आरोपी के विरुद्ध प्रपी 01 की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी ने उसे खेत पर कुल्हाड़ी से मारा था। उक्त साक्षी ने पुलिस कथन प्रपी 03 भी देने से इंकार किया है। उक्त साक्षी के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य अभियोजन द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी द्वारा फरियादी को कुल्हाड़ी जैसे धारदार हथियार से मारा गया था।

09— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपी को भादवि की धारा 324 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

10— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

11— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं है।

12— आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)